

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
बुधवार, 06 दिसम्बर, 1995 / मार्गशीर्ष 15, 1917 ॥शक॥

संख्या. 228

सदस्य को नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित ठपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक:02.12.1995 की निम्नलिखित संसूचना दिनांक:04.12.1995 को प्राप्त हुई :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल, विधायक को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक:02.12.1995 को अपराह्न 2.00 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 45 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक:02.12.1995 को अपराह्न 2.15 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Wednesday, December 06, 1995/Margshersh 15, 1917 (Saka)

No. 228

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following wireless message dated 02.12.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 04.12.1995 :-

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 2.00 P.M. today i.e. 2.12.1995.

He was released at 2.15 P.M. from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 2.12.1995."

P.N. GUPTA  
SECRETARY